परिशिष्ट
(देखिए नियम 6)
फार्म–'क'

सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म।

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:

i. अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण – पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)।

ii. 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप संलग्न है। (संलग्नक–1)

iii. परियोजना लागत – रू0 149.93 लाख

iv. वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य – नगर पालिका क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत बह रहे प्रदूषित नाले जो कि कोसी नदी में गिरते है, के ट्रीटमेंन्ट करने हेतु।

v. लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) – आवश्यकता नहीं है।

vi. रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है– 2000 मानव दिवस लगभग

1. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण – 0.9488 हे0 (आरक्षित वन भूमि)
   – 0.19 हे0 (सिविल भूमि)
2. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
   परिवारों की संख्या – शून्य
   अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या – शून्य
   पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिये) –शून्य

क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है (हां/नहीं) नहीं

प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाए) – संलग्न है।
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजनों का ब्यौरा – संलग्न है।

तिथि : 21/9/16
स्थान रामनगर

हस्ताक्षर अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण शाखा उ पे सं वि. एवं नि. निगम
रामनगर (नैनीताल)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

Scanned by CamScanner

भाग–II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

I	परियोजना/स्कीम का स्थापना		पोल्यूशन अवेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)।
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र		उत्तराखण्ड
ii.	जिला		नैनीताल
iii.	वन प्रभाग		रामनगर वन प्रभाग।
iv.	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)		0.9488 है0
v.	वन की कानूनी स्थिति		आरक्षित वन भूमि।
Vi.	हरियाली का घनत्व		.....0.6.....
vii.	प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर एल, एफ आर एल–2 मी0 पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी सलंग्न किये जाए।		संलग्न।
viii.	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी–		शून्य।
ix.	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन भूमि की सीमा से अनुमानित दूरी		वन भूमि से संलग्न।
x	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाय)–		नहीं।
xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटपन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें–		नहीं।
xii.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें		शून्य
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं		न्यूनतम
9.	क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नही) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भ चल रहे है।		नही

Scanned by CamScanner

10.	प्रतिपूरक वनीकरण की स्कीम का ब्यौरा		आवश्यक नहीं।
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार		N·A
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप		N·A
iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वियन एजेंन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि		N·A
iv	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)		N·A
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम ;गपए गपपद्ध 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)–		नहीं।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल		
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र		679400 हेक्टेयर
ii	ममलों की संख्या संहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र		97 सं० 171.5 है०
iii	1980 से जिला/~~प्रभाग~~ में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण		230.2642 है०
iv	दण्ड के रूप प्रति पूरक वनीकरण सहित वन भूमि		—
v	वनेत्तर भूमि		—
vi	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति		2016-17
vii	वन भूमि पर		230.2642 है०
viii	वनेत्तर भूमि पर		—
15	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध मे उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश		रामनगर शहर से कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण को रोके जाने हेतु एवं कोसी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जनहित में होने के कारण वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है। —

तिथि 06-10-16

स्थान रामनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Scanned by CamScanner

भाग–III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है–		
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उन वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं–		
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।		

तिथि.....

स्थान रामनगर ह0

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।)

तिथि.....

स्थान रामनगर ह0

Scanned by CamScanner

भाग–V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद से नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग–ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

तिथि.....
स्थान.....

अनुदेश (भाग–1 के लिये)

1. परियोजना प्राधिकारी कालम 1 (i) यथा अवतलन विश्लेषण रिपोर्टो आदि के साथ मुख्य खनिजों/सी0एम0पी0डी0आई0 योजना के लिये वी0एम0 अनुमोदित खनन योजना को पूरा करने के अलावा अनुमोदित परियोजना/योजना की एक प्रति संलग्न करेंगे।
2. मानचित्र मूल होना चाहिए और व परियोजना प्राधिकारियों और संबंधित डी सी एफ कालम 1 (ii) द्वारा संयुक्त रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए।
3. सड़क, ट्रांसमिशन लाइनें, रेलवे लाइनें, नहर आदि जैसी परियोजना के मामलों में विशेष रूप से जांच किये गये वैकप्लिक संरेखण का पूर्ण विवरण होना चाहिए।
4. खनन सं संबंधित प्रस्तावों के लिये वनेत्तर क्षेत्रों के चारों ओर/आस–पास में उक्त खनिज की अनुपलब्धता के बारे में जिला खनन पदाधिकारी जैसे सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. यदि उक्त कम्पनी/ व्यक्ति ने राज्य में समान परियोजना के लिए वन भूमि ली है तो, परियोजना की वर्तमान स्थिति के साथ–साथ अनुलग्नक में दिए गये ऐसे सभी अनुमोदनों/पट्टों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।
6. वन (संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसी सूचनाएं दिय गये कालम में उपयुक्त नहीं बैठती हैं तो इन्हें अलग से संलग्न किया जाना चाहिए।

सामान्य अनुदेशः

1. प्रस्ताव की प्राप्ति पर, नोडल अधिकारी प्रयोक्ता एजेंसी को इसकी प्राप्ति रसीद देगा जिसमें प्रस्ताव का नाम, प्रयोक्ता एजेंन्सी का नाम, क्षेत्र हैक्टैयर में, क्रम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा।
2. यदि ऊपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो कृपया अलग से ब्यौरा/दस्तावेजों को संलग्न करें।
3. प्रस्ताचों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी स्पष्टीकरणें के साथ पठित उपर्युक्त निर्धारित फार्म के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे प्रस्ताओं पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसे मूल रूप में राज्य सरकार को लौटा दिया जाएगा।
4. राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी। यदि अग्रेषित करने में विलम्ब हुआ है तो इसके कारणों को अग्रेषण/पत्र में दिया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner